प्रेस विज्ञप्ति

12/3/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने मेसर्स जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड (जेएएपीएल) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश में जबलपुर, बांधवगढ़ (उमरिया), रीवा, शहडोल, स्लीमनाबाद (कटनी) में भूमि (कृषि, वाणिज्यिक और आवासीय), वाहन शोरूम / डीलरशिप, आवासीय घर और कारों के रूप में 55 संपत्तियां 5.32 करोड़ रुपये की अस्थायी रूप से कुर्क की है।

ईडी ने केनरा बैंक, SME शाखा, जबलपुर के तत्कालीन प्रबंधक कृष्ण दत्त दुबे, मेसर्स जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों- पुष्पेंद्र सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह, शैलेन्द्र सिंह और प्रतिमा सिंह और इसके कर्मचारी- सचिन उरमलिया और राहुल गर्ग के खिलाफ सीबीआई द्वारा आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, की विभिन्न धाराओं के तहत दायर एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।

पीएमएलए, 2002 के तहत ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि कैसे मेसर्स जेएएपीएल ने अपने निदेशक और मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह के माध्यम से दूसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से 50 वाहन ऋण लिए, वाहनों की डिलीवरी नहीं की और केनरा बैंक को 14.93 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया। उक्त ऋण राशि उसके द्वारा अर्जित की गई और आगे चलकर उसके व्यक्तिगत खातों, उसके परिवार के सदस्यों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई और अन्य देनदारियों/बकाया के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग की गई। पुष्पेंद्र सिंह ने ऋण की रकम को दूसरे कारोबार जैसे शराब कारोबार में लगा दिया। अपराध की कुल आय(Proceeds of Crime), उस व्यवसाय से उत्पन्न आय सहित, जहां प्रारंभिक आय लगाई गई थी, 18.94 करोड़ रुपये है।

मामले में आगे की जांच जारी है.